[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी नीति खंड

अधिसूचना सं. 16/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 7 जुलाई, 2017

सा.का.नि..............(अ).-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर, नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसका एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं का प्रदाय करने का आशय है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने हेतु शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता है ।

(i) निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र प्रस्तुत करने के पात्र होंगे:--

(क) विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 5 में यथाविनिर्दिष्ट कोई प्रास्थिति धारक; या

(ख) जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्यात आवर्त का न्यूनतम 10 प्रतिशत के बराबर देय ऐसा विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त किया है, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होना चाहिए;

और उसे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधीन या विद्यमान विधि में से किसी विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है, जहां अपवंचन किए गए कर की रकम दो करोड़ पचास लाख रुपए से अधीक है ।

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिवचन पत्र, दो प्रतियों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और इसे सक्रिय भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे सक्रिय भागीदार, ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर के स्वत्वधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार